फर्द अहकाम

कैलाश बनाम TDR

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 54/2021 91

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/11/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। वादीगण का वाद अबेट किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से अंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि० से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 54 / 2021 दावा
निर्णय दिनांकः— 13.11.2025
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

कैलाश वगै0 बनाम तहसीलदार वगै0

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री हनुमान सहाय सिंहाग अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी
श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी
प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांकः— 13.11.2025

प्रार्थी / प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 किशन पुत्र रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी सूचना दिनांक 12.01.2024 को मान्य न्यायालय मे दी गई। दुसरी बार सूचना दिनांक 24.05.2024 को दी गई है कि प्रतिवादी सं0 सं0 2 की मृत्यु हो चुकी है। बावजूद सूचना वादीगण द्वारा आज दिनांक तक कोई कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। प्रतिवादी सं0 2 कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने के कारण वादी का वाद अबेट हो चुका है। अतः वादी का वाद अबेट फरमाया जावे।

अप्रार्थी / वादी ने प्रार्थना पत्र का जबाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। जबाब अप्रार्थी / वादी बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अप्रार्थी / प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अबेट होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी / वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताय की प्रतिवादी 2 के विधिक प्रतिनिधियों के नाम व पता मालूम नही होने के कारण कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली पर तो दिनांक 12.01.2024 को लिखा गया है परन्तु वादी को प्रथम बार सूचना 02.05.2025 को दी गई। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा — खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि वकील प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पूर्व मे दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवादी सं0 2 के फौत होने बाबत आदेशिका पर अंकित किया था। इसके उपरान्त वकील प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पुनःदिनांक 25.04.2024 को पुनः आदेशिका पर अंकित कर प्रतिवादी सं0 2 का फौत होना जाहिर किया था। वकील अप्रार्थी / वादीगण द्वारा लगभग 1 वर्ष के उपरान्त भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

"सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 4 में स्पष्ट है कि यदि किसी मुकदमे के दौरान किसी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद का कारण बना रहता है, तो न्यायालय उसके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी के स्थान पर मुकदमे में शामिल करने का आदेश दे सकता है। ऐसा करने के लिए एक आवेदन वाद की तिथि

उपखण्ड अधिकारी
फागी

से 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा आवेदन नहीं किया जाता है, तो उस प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

उपरोक्त तथ्यो व सिविल प्रकिया संहिता से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत नही किया गया था। जो कि सिविल प्रकिया संहिता मे वर्णित आदेशों की अवेहलना की श्रेणी मे आता है। इसलिये वादीगण का वाद स्वत: ही अबेट की श्रेणी मे होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अत: वादीगण का वाद अबेट किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार ग)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर